न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 29/2018 FSSA

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री यश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द खण्डेलवाल, निवासी आदर्श कॉलोनी, दौसा। एफबीओ मैसर्सः– कृष्णा एन्टरप्राइजेज, मण्डी के पास, मण्डी रोड दौसा।
2. श्री महादेव सैनी मैसर्सः–तिरूपति एक्वा इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं. 1, गणेश विहार सेक्टर 35, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर।

– अभियुक्तगण–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री संदीप चौहान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः– 11.09.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये है और दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 22.03.2018 को दोपहर 02:15 बजे मैसर्सः– कृष्णा एन्टरप्राइजेज, मण्डी के पास, मण्डी रोड जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री यश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द खण्डेलवाल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में 50 गत्ते के कार्टून में 1 लीटर पैकिंग में पैक **Packaged Drinking Water (Tirupati)** (50 कार्टून X 12 बोतल X 1 लीटर) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर इनमे से 16 मूल पैक बोतल X 1 लीटर वजन की नमूने की जांच हेतु खरीदी। जिनकी कीमत 95 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। विक्रेता ने मौके पर उक्त खाद्य पदार्थ का बिल नं. 92 दिनांक 22.03.2018 प्रस्तुत किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व विक्रेता (एफ.बी.ओ.) के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा **Packaged Drinking Water (Tirupati)** की 16 बोतलों को चार–चार जगह अलग–अलग बांधकर बोतलों पर लेबल चिपकाकर बोतलों को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेटकर बोतलो पर डी.ओ. व सीएमएचओ

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1883 गोंद से चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 23.03.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 23.03.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 26.03.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ **Packaged Drinking Water (Tirupati)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./554/एक्ट/2018/648 दिनांक 02.04.2018 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Packaged Drinking Water (Tirupati)** का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./554/एक्ट/2018/648 दिनांक 02.04.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Packaged Drinking Water (Tirupati)** की पैकिंग में लेबल पर **"Best before 6 months from the date of packing"** के स्थान पर बडे अक्षरों में **"BEST BEFORE 6 MONTHS FROM PACKAGING"** प्रिन्ट होना चाहिये था। इस कारण FSSA 2006 के रेगुलेशन 2.2.2(10) (पैकेजिंग एवं लेबलिंग नियम) का उल्लंघन होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण सं. 1 व 2 द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार **(Best Before Date)** का अनुसरण **(format)** में न होने के कारण खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड बताया गया है। अधिनियम 2.2.2(10) के अनुसार **Best Before Date** का जो **Format** है वो **Best Before** के आगे महिना व साल होना अनिवार्य है एवं उक्त खाद्य नमूने में **"BEST BEFORE, SIX FROM MONTH THE DATE OF PACKAGING"**. बडे अक्षरों में अंकित था। खाद्य निरीक्षक द्वारा मात्र **the date of** लगाने से नमूने को मिसब्राण्ड कर दिया। अभियुक्त सं. 1 ने जो कि उक्त खाद्य पदार्थ का रिटेलर है जिसने कि

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभियुक्त सं. 2 से जरिये बिल उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है एवं उसी स्थिति में माल आम जन को विक्रय करता है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 किसी भी प्रकार का दोषी नहीं है। अभियुक्त सं. 2 जो कि उक्त माल का पैकेजर है ने भी जन लाभ एवं उक्त नियम व अधिनियम की पालना हेतु अपने खाद्य पदार्थ की लेबलिंग में भी परिवर्तन कर लिया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 व 2 को दोषमुक्त करने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./554/एक्ट/2018/648 दिनांक 02.04.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Packaged Drinking Water (Tirupati)** रेगुलेशन 2.2.2(10) (पैकेजिंग एवं लेबलिंग नियम) का उल्लंघन होने के कारण मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा **Packaged Drinking Water (Tirupati)** मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 श्री यश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द खण्डेलवाल, निवासी आदर्श कॉलोनी, दौसा एफबीओ मैसर्सः– कृष्णा एन्टरप्राइजेज, मण्डी के पास, मण्डी रोड दौसा पर 20,000/–(अक्षरे बीस हजार रूपये) एवं अप्रार्थी अभियुक्त सं. 2 श्री महादेव सैनी मैसर्सः–तिरूपति एक्वा इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं. 1, गणेश विहार सेक्टर 35, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर पर 30,000/–(अक्षरे तीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 11.09.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

कमांक/ 1907- 1910
दिनांकः– 13 .09.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री यश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द खण्डेलवाल, निवासी आदर्श कॉलोनी, दौसा। एफबीओ मैसर्सः– कृष्णा एन्टरप्राइजेज, मण्डी के पास, मण्डी रोड दौसा।
4. श्री महादेव सैनी मैसर्सः–तिरूपति एक्वा इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं. 1, गणेश विहार सेक्टर 35, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official